पत्रांकः–10 / न –09 / 2021...............

शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।

बंधित
ाक

प्रेषक

विजय कुमार झा
विशेष निदेशक, (माध्यमिक शिक्षा)

सेवा में

अध्यक्ष,
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड,
शिक्षा केन्द्र, 2 कम्युनिटी सेंटर,
नई दिल्ली–110092

पटना, दिनांक..............................

विषयः– **SHREE RAM KRISHNA MISSION HIGH SCHOOL, RAM KRISHNA NAGAR, MAHPUR CHAPRA ROAD, SIWAN को C.B.S.E बोर्ड, नई दिल्ली से संबंद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण–प नि़र्गत करने के संबंध में।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में निदेशानुसार कहना है कि **SHREE RAM KRISHNA MISSION HIGH SCHOOL, RAM KRISHNA NAGAR, MAHPUR, CHAPRA ROAD, SIWAN** को **C.B.S.E** से अनापत्ति प्रमाण–प देने के संबंध में उक्त विद्यालय के प्राचार्य / सचिव / विद्यालय प्रबंधन द्वारा उपलब्ध कराये गये कार्यपाल दण्डाधिकारी के समक्ष लिये गये शपथ–पत्र के साथ संलग्न अभिलेखों / कागजातों की समीक्षा विभाग की सक्ष समिति द्वारा की गयी। तद्नुसार विद्यालय की स्थिति निम्न प्रकार पाई गई :–

1. यह विद्यालय **SHARDHA EDUCATIONAL SOCIETY** के अधीन संचालित है। इस ट्रस्ट / सोसाइटी में किस एक व्यक्ति / परिवार का प्रभुत्व नहीं है। ट्रस्ट / सोसाइटी के प्रत्येक सदस्य का ब्यौरा दिया गया है तथा शप पत्र भी दिया गया है।

2. विद्यालय प्रबंधन द्वारा किसी अन्य निबंधित ट्रस्ट / सोसाइटी / न्यास के फ्रेन्चाईजी अथवा किसी विद्याल के ब्रांड नेम उपयोग नहीं करने का दावा किया है।

3. विद्यालय को **1.52 एकड़** भूमि उपलब्ध है। विद्यालय का भवन है तथा पुस्तकालय एवं प्रयोगशाल उपलब्ध हैं। **केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को स्थल निरीक्षण कर यह सुनिश्चित करना होगा कि विद्यालय व आधारभूत संरचना एवं अन्य सभी सुविधायें बोर्ड के मानक के अनुरूप है अथवा नहीं ? समिति द्वारा इ संस्थानों का स्थल निरीक्षण एवं कागजातों की सत्यता की जाँच नहीं करायी गयी है। इस संबंध में विद्याल द्वारा उपलब्ध कराये गए अभिलेखों एवं शपथ पत्र के आधार पर ही विभाग द्वारा समीक्षा की गई है।**

4. विद्यालय में **कुल 14 शिक्षक** नियुक्त हैं। **सी0 बी0 एस0 ई0, नई दिल्ली को यह सुनिश्चित करना हो कि शिक्षकों की नियुक्ति, उनकी योग्यता एवं प्रशिक्षण राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् के मापदण्डों के अनुरू है अथवा नहीं ?**

5. विद्यालय में हिन्दी अनिवार्य रूप से पढ़ाये जाने का दावा किया गया है।

6. विद्यालय द्वारा निर्धारित, शुल्कों, वार्षिक लेखा अंकेक्षण तथा वार्षिक प्रतिवेदन प्रतिवर्ष सार्वजनिक कर का आश्वासन दिया गया है। विद्यालय अपने आश्वासन के अनुरूप कार्रवाई करे इसे सी0 बी0 एस0 ई0, न दिल्ली को सुनिश्चित करना होगा।

7. विद्यालय के द्वारा लिखित रूप से शपथ पत्र के माध्यम से सहमति दी गयी है कि उसे विभागी अधिसूचना संख्या–238, दिनांक–04.04.2006 में उल्लेखित अपेक्षित एवं अनिवार्य शर्तें स्वीकार है।

अपेक्षित शर्तो के अनुसारः–

(i) विद्यालय में **कुल क्षमता का 25 प्रतिशत निःशुल्क नामांकन पड़ोस में निवास करने वाले परिवार के बच को किया जायेगा तथा उनसे ट्यूशन शुल्क अथवा किसी अन्य प्रकार का शुल्क नहीं लिया जायेगा।** ऐसे बच की श्रेणी में अनुसूचित जाति, अनु0 जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, दिव्यांग बालिक

Scanned with CamScanner

तथा सामान्य श्रेणी के परिवार जिनकी आय प्रतिवर्ष रूपया 2,00,000/–(दो लाख रूपये मात्र) से कम होगा, को रखा गया है।

(ii) विद्यालय मे नर्सरी/के० जी० अथवा प्राथमिक कक्षा में नामांकन के लिए किसी तरह की प्रवेश परीक्षा/साक्षात्कार (बच्चों एवं माता/पिता सहित) नहीं लिया जायेगा। अगर नामांकन के लिए आवेदन निर्धारित क्षमता से अधिक हो तो खुले तरीका से Draw of Lots के माध्यम से नामांकन के लिए बच्चों का चयन किया जायेगा।

(iii) नर्सरी/के०जी० तथा प्राथमिक कक्षाओं के लिए प्रवेश लेने वाले बच्चों का विद्यालय से आवास की दूरी अधिकतम एक किलोमीटर एवं उच्च प्राथमिक एवं माध्यमिक कक्षा में नामांकन हेतुं अधिकतम दूरी तीन किलोमीटर तक रहेगी।

(iv) जिन बच्चों का नामांकन नहीं होता है उनसे ली गई आवेदन शुल्क की राशि का 80 प्रतिशत राशि वापस लौटाने की व्यवस्था होगी।

8. RTE से संबंधित सभी मापदण्डों को पूर्ण करना अनिवार्य होगा। C.B.S.E संबंधित निजी विद्यालयों को सम्बद्धता देते समय इसका अनुपालन कराना सुनिश्चित करायेंगे।

9. यद्यपि कि विद्यालय का प्रबंधन द्वारा सभी अनिवार्य शर्त्तो को पूरा करने के संबंध में शपथ पत्र के माध्यम से दावा किया गया है, फिर भी **सी० बी० एस० ई०, नई दिल्ली अपने स्तर से जाँच कर यह सुनिश्चित हो लें कि विद्यालय उनके द्वारा निर्धारित मापदण्ड के आधार पर संचालित है।**

10. **साथ ही सी० बी० एस० ई०, को यह सुनिश्चित करना होगा कि संबंधित विद्यालय के द्वारा अपनी सहमति के अनुसार अनिवार्य एवं अपेक्षित शर्त्तो का अनुपालन किया जा रहा है।** स्कूल को यह शर्त्त सार्वजनिक करनी होगी तथा इसका उल्लेख प्रोस्पेक्टस एवं वेबसाईट में करना होगा। शर्त्तो के उल्लंघन की स्थिति मे अनापत्ति प्रमाण–पत्र वापस ले लिया जायेगा तथा सम्बन्धन रद्द करने की कार्रवाई की जायेगी।

11. विभागीय पत्रांक–46, दिनांक–18.01.2008 द्वारा शिक्षक/छात्रों को शारीरिक दण्ड नहीं दिए जाने संबंधी आदेशों का विद्यालयों द्वारा पालन करना होगा।

12. **विद्यालय, बिहार सरकार के शिक्षा विभाग अथवा स्वास्थ्य विभाग के निरीक्षी पदाधिकारी के द्वार निरीक्षण हेतु किसी भी समय खुला रहेगा।**

उपर्युक्त वर्णित शर्त्तो के आलोक में विभागीय समिति द्वारा लिये गये निर्णयानुसार SHREE RAM KRISHNA MISSION HIGH SCHOOL, RAM KRISHNA NAGAR, MAHPUR, CHAPRA ROAD, SIWAN को सी० बी० एस० ई० ऐफिलियेशन बायलॉज के कंडिका 3.3 में वर्णित प्रावधानानुसार प्रति वर्ग में 3 सेक्शनों हेतु **अनापत्ति प्रमाण–पत्र इस शर्त्त के साथ प्रदान किया जाता है कि सी० बी० एस० ई० अपने स्तर से पूर्णतः संतुष्ट होने पर ही विद्यालय की सम्बद्धता देने पर विचार करेगी।**

विश्वासभाजन

ह0/–

(विजय कुमार झा)

विशेष निदेशक (माध्यमिक शिक्षा)

ज्ञापांक :–10/न –09/2021.........................

पटना, दिनांक..............................

प्रतिलिपि :– जिला शिक्षा पदाधिकारी, SIWAN को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह0/–

विशेष निदेशक (माध्यमिक शिक्षा)

ज्ञापांक :–10/न –09/2021– 1298

पटना, दिनांक 29/11/2021

प्रतिलिपिः–प्राचार्य, SHREE RAM KRISHNA MISSION HIGH SCHOOL, RAM KRISHNA NAGAR, MAHPUR, CHAPRA ROAD, SIWAN को सूचनार्थ, एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

29/11/2021

विशेष निदेशक (माध्यमिक शिक्षा)